झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– वि0प्रा0 / कौ0–03 / 2024 – / राँची, दिनांक–

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

विषय : संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS) के तहत धनबाद जिला में साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना से संबंधित परियोजना राशि रू0 41,00,00,000/– (रूपये एकतालीस करोड़) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:–स्वीकृत।

झारखंड सरकार द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् (JCSTI), राँची की स्थापना विज्ञान का प्रचार–प्रसार करने एवं आम–जनों में विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा करने, जिला विज्ञान केंद्रों, साइंस सिटी, तारामंडल, इनोवेशन हब आदि की स्थापना करने, शोध–अन्वेषण कार्य, वर्कशॉप, सेमिनार आदि के आयोजन के उद्देश्य से की गई है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिषद चरणबद्ध रूप से अत्याधुनिक विज्ञान केन्द्र एवं तारामण्डल की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है।

2. राज्य सरकार द्वारा राजधानी राँची में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र संचालित है। इसके अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्कीम Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS) के तहत धनबाद जिला में साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापित करने की राज्य सरकार की योजना है। इससे धनबाद जिला के साथ–साथ आसपास के जिलों के स्कूल–कॉलेजों के छात्र–छात्राएँ लाभांवित होंगे। छात्र–छात्राओं में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं रचनात्मकता बढेगी, उन्हें विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र में हो रहे नवीनतम विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी एवं भविष्य में विज्ञान एवं प्रावैधिकी के क्षेत्र में कार्य करने के प्रति रूझान पैदा होगा। यह योजना छात्र–छात्राओं को अपने वैज्ञानिक ज्ञान का अधिकतम उपयोग करने एवं उनमें वैज्ञानिक सोच बढाने में सहायक होगा।

3. धनबाद में साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना हेतु अभियंत्रण महाविद्यालय बी0आई0टी0, सिन्दरी के परिसर में 8.2 एकड़ भूमि चिन्हित है।

4. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS) Guideline अनुसार साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना हेतु प्रोजेक्ट की कुल लागत रू0 41.00 करोड़ है, जिसमें Capital Cost, Corpus Fund, केन्द्रांश एव राज्यांश की विवरणी निम्नवत है:–

	Capital Cost	Corpus Fund	Total Project Cost
GoI's Shares	15.75 Cr (50%)	1.90 Cr. (20%)	17.65 Cr.
State's Share	15.75 Cr (50%)	7.60 Cr. (80%)	23.35 Cr.
Total :	31.50 Cr.	9.50 Cr.	41.00 Cr.

5. राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय अंतर्गत संचालित स्वायत्त संस्था है, जिसे विज्ञान केन्द्रों की स्थापना में दक्षता प्राप्त है। Scheme for Promotion of Culture of Science अन्तर्गत साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना के क्रियान्वयन हेतु संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकता को अधिकृत किया गया है।

6. धनबाद में साईंस सेंटर कैटगरी–I, जिसकी केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल लागत रू0 41.00 करोड़ है, में से राज्यांश की राशि रू0 23.35 करोड़ के व्यय किये जाने तथा राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता के द्वारा स्थापना करने के बिन्दु पर झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची के कार्यकारिणी समिति की दिनांक 27.09.2023 की बैठक में सहमति प्रदान की गयी है।

7. संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के SPoCS Guideline अनुसार झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, राँची द्वारा विषयांकित कार्य के निमित DPR तैयार कराया गया है। उक्त के अनुसार साईंस सेंटर कैटगरी–I अन्तर्गत कुल 4000 sqm का निर्माण कार्य होगा, जिसमें 1800 sqm मे Exhibit Display Halls, --

1200sqm में Visitors Activities Area एवं 1000 sqm में Exhibit Development Laboratory, Office आदि होंगे। सेंटर में निम्न गैलरी/पार्क/सुविधाएँ उपलब्ध होगी–

1. अलग–अलग Themes पर आधारित दो Thematic Galleries	2. Computer Training Room
3. Fun Science Gallery	4. Science Library
5. Temporary Exhibition Hall	6. Conference Room
7. Outdoor Science Park	8. 3D Theater
9. Inflatable Dome Planetarium	10. 150 Seater Auditorium
11. Activity area for Innovative and creative activities	–

8. विभागीय पत्रांक 52 दिनांक 23.02.2024 के आलोक में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0 17/07/2024–Museum-II, दिनांक 14 मार्च, 2024 द्वारा विषयांकित कार्य की सैद्धांतिक सहमति देते हुए परियोजना के लागत में CPWD Code के अनुसार Price Escalation की राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने से संबंधित प्रतिबद्धता पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध है।

9. धनबाद में साईस सेंटर कैटगरी–I के संचालन हेतु पद सृजन की कार्रवाई अन्य संचिका में प्रक्रियाधीन है।

10. धनबाद में साईस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना के पश्चात होनेवाले सम्भावित आय–व्यय की विवरणी निम्नवत् होगी –

Financial Year	2027-28	2028-29	2029-30	2030-31	2031-32
Expected Annual Revenue (in Lakh)	125.66	138.23	152.05	167.25	183.97
Expected Annual Expenditure (in Lakh)	118	123.90	130.10	136.60	143.43
Surplus/Shortfall (in Lakh)	+7.66	+14.33	+21.96	+30.65	+40.54
PS: Shortfalls in any year to be met from the interest of the Corpus fund or to be provided by the State Govt.					

11. अतः उक्त के आलोक में –

(क) संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के स्कीम Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS) के तहत राज्य के धनबाद जिला के बी0आई0टी0, सिन्दरी में साईस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना से संबंधित परियोजना राशि रू0 41,00,00,000/– (रूपये एकतालीस करोड़) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ख) राज्यांश के रूप में कुल रू0 23,35,00,000/– (रूपये तेईस करोड़ पैंतीस लाख) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी साथ ही, परियोजना के लागत में किसी प्रकार की Price Escalation की राशि का वहन CPWD Code के आलोक में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

12. उक्त व्यय का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष 2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–004/796–अनुसंधान/जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–उप शीर्ष–41–झारखण्ड कौंसिल ऑन साईस एण्ड टेक्नोलॉजी, राँची–सहायता अनुदान–विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान के सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन) ईकाई के अन्तर्गत उपबंधित राशि में से विकलनीय होगा।

13. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिक परिषद एवं नवाचार परिषद्, राँची होगें एवं राशि की निकासी झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची के PL खाता में संधारित राशि से की जायेगी।

14. कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद् द्वारा वित्त विभाग के सुसंगत आदेश एवं परिपत्रों तथा झारखण्ड कोषागार संहिता–2016 के नियम 339–344 के तहत पी0एल0 खाता के शीर्ष–8448 से राशि की निकासी की जाएगी।

15. विषयांकित कार्य को राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (NCSM), कोलकाता द्वारा निष्पादित की जायेगी एवं Scheme for Promotion of Culture of Science (SPoCS) Guidelines के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यानुमति निर्गत होने की तिथि से 42 माह होगी। NCSM, कोलकाता की यह जिम्मेवारी होगी कि CPWD कोड़ एवं अन्य परिपत्रों के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत राशि की निकासी कर नियमानुसार व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

16. विषयांकित योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण कार्यपालक निदेशक, JCSTI की अध्यक्षता में गठित दो सदस्यीय टीम जिसमें अन्य सदस्य राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/ राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के विषय विशेषज्ञ होगें, द्वारा की जायेगी जिसकी समीक्षा समय–समय पर निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा की जायेगी।

17. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अतंर्गत होगा।
18. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
20. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा –निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
21. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
22. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
23. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
24. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।
25. प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
26. प्रस्ताव पर योजना एवं विकास विभाग का ज्ञापांक–रा0यो0प्रा0–175/2024 दिनांक 25.07.2024 के अनुसार राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 24.07.2024 को सम्पन्न बैठक में सशर्त्त सहमति प्राप्त है एवं परामर्शानुसार साईंस सेंटर कैटगरी–I की स्थापना के पश्चात होनेवाले सम्भावित आय–व्यय की विवरणी कंडिका 10 में उल्लेखित कर दी गयी है।
27. मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 27.09.2024 में मद सं0 20 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गयी है।
28. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0नं0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0–03/2024 – /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपिः–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0–03/2024 – /राँची, दिनांक–
प्रतिलिपिः–अवर सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली को उनके पत्रांक 17/07/2024–Museum-II, दिनांक 14 मार्च, 2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक– वि0प्रा0/कौ0–03/2024 –/26/योजना /राँची, दिनांक– 07.10.2024
प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/निदेशक, उच्च शिक्षा/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक, बी0आई0टी0, सिन्दरी/उपायुक्त, धनबाद/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/प्राचार्य, सभी राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक, झारखण्ड/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद्, राँची/उप महानिदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद्, (NCSM) कोलकाता/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी को Upload हेतु/लेखा शाखा/निर्गत शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.10.24

सरकार के प्रधान सचिव